राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— प.149 / मुसप्र / नवीन पंजी. योजना / 2012 / 3068 दिनांकः— 2-4-2012

कार्यालय—आदेश

मण्डल की 108वीं बैठक दिनांक 31.01.1984 में निर्णय बिन्दु संख्या 108.23 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मण्डल में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा कराने की रियायत दी गयी है। किन्तु मण्डल की स्ववित्त—पोषित योजनाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आमजन द्वारा अध्यक्ष महोदय से स्ववित्त—पोषित योजनाओं में भी उक्त प्रावधान प्रभावी किये जाने की मांग की जा रहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि मण्डल की नवीन स्ववित्त—पोषित योजनाओं में पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि ही पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराने की सुविधा दी जावे।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव / निदेशक विधि, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय एवं पीएण्डएम, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त—वृत—.................... रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड—......................रा0आवम0, ...
7. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय आदेश को वेबसाईट पर डालें एवं सभी उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक